संख्या-1711/सत्तर-2-2012-2(347)/2011

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 16 अगस्त, 2012

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः सम्बद्धता/1454, दिनांक 22.7.2011 एवं पत्रांकः सम्बद्धता/7004, दिनांक 13.2.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन स्यादवाद इंस्टीट्यूट आफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, बागपत को बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 एवं बी0एससी0 (गृह विज्ञान) (प्रत्येक में 60 सीट) पाठ्यक्रमों/विषय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2012 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

--2--

Yogesh Oth. A

<u>संख्या-1711(1)/सत्तर-2-2012-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

(3) सचिव/प्रबन्धक, स्यादवाद इंस्टीट्यूट आफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, बागपत ।

(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।

(5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

(6) निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनिता सिंह), उ0प्र0शासन।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

Yogesh Oth.A